केन्द्रीय जल आयोग

529. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग में सतर्कता संबंधी मामलों को निपटाने के लिये किस प्रकार के तंत्र की स्थापना की गई है;

(ख) राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता के कौन कौन से मामले पिछले दो वर्षों से लम्बित है;

(ग) क्या यह सच है कि सर्तकता अधिकारियों द्वारा मामलों को निपटाने में हुए विलम्ब के कारण कर्मचारियों को परेशानी होती है; और

(घ) सतर्कता के मामलों को निबटाने में हो रही ऐसी अनियमितताओं को दूर कर विलम्बित मामलों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद):** (क) केन्द्रीय जल आयोग का सचिव आयोग के सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करता है और वह सीधे ही अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग को रिपोर्ट करता है । सतर्कता सम्बन्धी मामलों में एक अलग अनुभाग उनकी सहायता करता है ।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध पिछले दो वर्ष से भी अधिक समय से कोई सतर्कता सम्बन्धी मामला लम्बित नहीं पड़ा हुआ है ।

(ग) सतर्कता सम्बन्धी मामलों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा इनको केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 में निर्धारित विभिन्न प्रक्रियात्मक चरणों से गुजरना होता है । जहां भी आवश्यक होता है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि जैसे संगठनों से भी परामर्श लेना होता है । तथापि, सभी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करने तथा अंतिम आदेश जारी करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं । ताकि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी न हो ।

(घ) उपर्युक्त (ख) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

**Evaluation of IRDP in Madhya Pradesh**

530. SHRI SURESH PACH-OURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state: '

(a) the number and names of the districts of Madhya Pradesh selected for concurrent evaluation of IRDP during April, May and June, 1986; and

(b) what has been the results of the evaluation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAMANAND YADAV): (a) The districts selected are as follows: —

| | | *Districts* |
|---|---|---|
| 1. | April | Gwalior |
| | | Rajgarh |
| | | Shajapur |
| | | Shahadol |
| 2. | May | Balaghat |
| | | Dhar |
| | | Shivpuri |
| 3. | June | Ujjain |
| | | Dewas |
| | | Tikamgarh |
| | | Vidisha |
| | | Darooh. |

(b) The results tabulated are given in the enclosed Statement *(See* below)

Statement

*Major Findings of Concurrent Evaluation in Madhya Pradesh*

| Indicators | April | May | June |
|---|---|---|---|
| 1. Beneficiaries whose income is more than 4800 . . | 5% | – | 2% |
| 2. Process of Selection . . | 100% by officials | 100% by officials | 3% by Gram Sabha |
| 3. Schemes in each Category . | 7% Agriculture | 18% Agriculture | 8% Agriculture |
| | 33% Animal Husbandry | 3% Animal Husbandry | 15% Animal Husbandry |
| | 1% Secondary | 12% Secondary | 18% Secondary |
| | 60% Tertiary | 63% Tertiary | 58% Tertiary |
| 4. Insufficient assistance | 2% from own money | 17% from own money | 18% from own money |
| | 1% from borrowing | 1% from borrowing | |
| 5. Working capital . . . | 42% not provided | 64% not provided | 24% not provided |
| 6. Amount of over dues | 32% Rs. 1 to Rs. 1000 | 46% Rs. 1 to Rs. 1000 | 32% Rs. 1 to Rs. 1000 |
| | 30% Rs. 1000 to Rs. 2000 | 12% Rs. 1000 to Rs. 2000 | 16% Rs. 1000 to Rs. 2000 |
| | 6% more than Rs. 2000 | | 6% more than Rs. 2000 |
| 7. Assets not intact . . | 18% | 12% | 21% |
| 8. Aftercare support by Government not provided. . . | 25% | 3% | 8% |
| 9. Persons crossing the poverty line of Rs. 6400 . . | 5% | – | 5% |
| 10. Persons crossing the poverty line of Rs. 3500 . . | 20% | 11% | 58% |

**Supply of Drinking Water to the Villajje of Madhya Pradesh**

531. SHRI SURESH PA-CHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of villages where drinking Water has been provided by the end of March, 1986 out of the 1049 villages in Madhya Pradesh not having any source of drinking Water as on the 1st April, 1985; and

(b) by when the remaining villages are likely to be provided this facility ?